

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020  
00095

उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम..... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

शिवेश्याम बनाम सहाल

क्रमा. 88-89-187-1955 नं. 65 सन् 2020

| क्रमांक  | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------|--|---|
| 20       | पत्रावली जारी एड. पेरा रिपोर्ट सलिया देवी गड्डी दावा दर्ज रजिस्टर हो प्रतिव की तपकी रैल सम्मन जारी होकर 29.9.20 को पेय हो                                    |   |
| 9/20     | पत्रावली पेरा वलीव वाली उपरो वामा प्रवाष 20.10.20 को पेय हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी   |   |
| 10/20    | पत्रावली पेरा वलीव वाली उपरो वामा क सप्य अपन कर्ष मिजात पेय (की) सी।क। 20 को वामा प्रवाष बि एवं बल्ल नि. 10.11.20 को पेय हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी |   |
| 11/20    | पत्रावली पेरा वलीव वाली उपरो बल्ल कुनी वामा कपेय 20.11.20 को पेय हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी   |   |
| 20.11.20 | पत्रावली पेरा वलीव पत्रावली उपखिल व पत्रावली का आधीपान्त गहन मनन एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी  |   |

~~अवगतान किवा~~ गमा वादी के वादपत्र,  
 अंकिल कमान, वांचिकल अडुलोष, लखुल  
 इस्लावजात भादि का लख्यक अग्रनाक  
 उपलान्त बरख विहात अधिवक्ता वाकी ए  
 लख्यक विन्दात किमा। दोरत बरख विहात  
 अधिवक्ता वाकी का कमान है, कि वाकी  
 श्री वाचिसल गणेश है, जिसे कलवर  
 से पगदीरा अंकिल कट विमा है, अतः क्वत  
 में श्वानुसात वाचिसल गणेश की भी  
 आवे।

एतला है अवगतान उपलान्त बर पाया  
 जाता है, कि ग्राम मवासा श्री अमावेंदी  
 सेबल २०५३-५७ क्वाला नं. १७४ में खखप  
 नं० ६२७ (कवा ५) राधेश्याम पुत्र गणेश  
 के नाम पर कर्षण सेबल २०४९-४४  
 के क्वाला नम्बर १७६ पर भी खखप नं.  
 ६२७ (कवा ५) श्री राधेश्याम पुत्र  
 गणेश के नाम पर कर्षण एव कर्ष  
 मितात २००५-२०२५ लाविक खखप  
 नम्बर ६२७ (कवा ५) के हात लखप  
 नम्बर २३५ कवा ०.२९ क्वर पैसुड  
 कायम किये जाये है।

उपखण्ड अधिकारी  
 रामराजमण्डी

रीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

जमाबंदी संवत् २०५१-६० (वाला नम्बर १८३  
पर खसरा नम्बर ६२६ (कवा ५) पर राधेश्याम  
पुनः गौरी के लिये पर राधेश्याम पुनः जगदीश  
रूप करने के उपलक्ष्य मुक्ति पत्र से जगदीश  
के लिये पर पुनः गौरी मुक्त किया गया।  
पन्च दान जमाबंदी सं. २०१५-११ की  
जमाबंदी खाला नं० २२६ पर वानी के पिता  
का नाम पुनः गौरी के लिये पर जगदीश  
रूप कर दिया गया है। आधार कार्ड नम्बर  
२२८०,८९५२,६०३१ में राधेश्याम श्री वन्दियल  
गौरी ही रक्त है।

उक्त भूखे clerical mistake  
(लेखकीय भूखे) की कमी से खाली  
है, जिसे ठुकरा किया जाना उचित  
पाया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर  
यह आदेश दिया जाता है, कि ग्राम भवासा  
की भूमि ख. नं. ८३५ (कवा ०.८१ हे०) पर  
वादी श्री वन्दियल जगदीश के लिये पर  
गौरी रूप कर राज्य रिकार्ड में अमल  
रामद किया जावे। डिफ़ी मुक्तिव है।

निर्णय आज दिनांक २०/११/२०२० को

में आर लिखा जाकर विद्वत् न्यायालय  
में सुनाया गया।

(देवाल दान)  
I. A. S.  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी